2.4.90

सिटी-बोर्ड (नगरपालिका) जौनपुर की बैठक दिनांक 2.4.90 दिन सोमवार दिन में 2.00 बजे श्री सीताराम यादव, अध्यक्ष, सिटी-बोर्ड-जौनपुर की अध्यक्षता में टाउनहाल कार्यालय में हुयी, जिसमें 23 सदस्य उपस्थित रहे, इनके नाम व कार्यवाही निम्न प्रकार है।

1.	श्री सीताराम यादव	अध्यक्ष,
2	" डा० सुनील श्रीवास्तव	सदस्य.
3	" श्री इनसराजा	"
4	" हाजी मो० सलीम	"
5	" राजेन्द्र प्रताप सिंह	"
6	" बाबूलाल गुप्त	"
7	" मिठाईलाल	"
8	" राम अवतार यादव	"
9	" डा० कृष्णकुमार श्रीवास्तव	"
10	" शोभनाथ आर्य	"
11	" गणेशनाथ रावत	"
12	" रमजान खां	"
13	" मिर्जा ज्यारत हुसैन	"
14	" दयाशंकर	"
15	" शिवकुमार गुप्त	"
16	" नरेन्द्रबहादुर सिंह	"
17	" कैलाशनाथ मौर्य	"
18	" रविन्द्र प्रताप सिंह	"
19	" मुख्तार अहमद	"
20	" वीरेन्द्र प्रताप यादव	"
21	" विद्यासागर सोनकर	"
22	" सै० मेंहदी हसन	"
23	" नजीर हुसैन	"
24	" हुबलाल	"

[illegible]
कार्यवाहक व० न०पा०अधि०
प्रभारी अधिशासी अधिकारी,
सिटी-बोर्ड जौनपुर
2-4-90

सीताराम यादव
अध्यक्ष,
सिटी-बोर्ड
जौनपुर
2-4-90

विशेष प्रस्ताव :- 2.4.90.

प्रस्ताव	निर्णय :-
1. सिटी-बोर्ड औरैया के वर्ष 1990-91 के आय-व्यय की स्वीकृति हेतु विशेष प्रस्ताव पर विचार।	आय व्यय आंकड़ो के विस्तृत विवरण प्रस्तुत किये गये। वित्त कमेटी की बैठक दिनांक 30.3.90 के प्रस्ताव संख्या 1 की अनुमानित आय-व्यय निम्न प्रकार था।

1. कुल अनुमानित आय :- रु 2,12,59,310=00
2. कुल अनुमानित व्यय :- रु 2,04,48,900=00
3. कुल अंतिम अवशेष :- रु 8,10,410=00

वित्त कमेटी की बैठक में चर्चा के पश्चात आय पक्ष रु 2,12,59,310=00 यथावत स्वीकार किया गया था।

व्यय पक्ष में मान्य सदस्य श्री हाजी मो० सलीम के प्रस्तावानुसार। सुझाव पर जलकल मद में पाइप लाइनों एवं फायर हाईड्रेन्ट की मरम्मत इत्यादि पर प्रस्तावित व्यय रु 30,000=00 को बढ़ाकर 50,000=00 स्वीकृत करने पर व्यय पक्ष पर रु. 2,04,68,900=00 की सहमति पायी गयी, और उक्त-अनुसार वर्ष 1990-91 का आय-व्ययक आंशिक संशोधन उपरान्त निम्नवत परिषद के विचार्थ प्रस्तुत हुयी

1. कुल प्रस्तावित आय रु 2,12,59,310=00
2. कुल प्रस्तावित व्यय रु 2,04,68,900=00
3. अंतिम अवशेष रु 7,90,410=00.

चर्चा के दौरान आय पक्ष पर विशेष चर्चा के पश्चात सर्वसम्मति से यथावत रु 2,12,59,310=00 स्वीकार किया गया।

व्यय पक्ष पर चर्चा के दौरान

विशेष प्रस्ताव

2.4.90

प्रस्ताव :-	निर्णय :
	मान्य सदस्य श्री रामअधार यादव ने कहा कि जलकल अधिष्ठान व जलकल प्रतिष्ठान में कौन कौन से व्यय आते हैं। इस पर अध्यक्ष महोदय की अनुमति से लेखाकार-श्री-कोई श्रीवास्तव ने सदन को बताया कि जलकल अधिष्ठान में जलकल कर्मचारियों के वेतनादि पर व्यय एवं जलकल प्रतिष्ठान मद में जलकल उपकरणों उनकी आवश्यक मरम्मतों। पुनः स्थापना इत्यादि अनुरक्षण व्यय आता है।
	आय-व्ययक पर चर्चा के दौरान श्री रामअधार यादव, मान्य सदस्य ने कहा कि काउन्ज के मद में इतना अधिक व्यय क्यों दिखाया गया है जबकि इस मद में आय बिलकुल शून्य है। इस पर अध्यक्ष महोदय ने बताया कि काउन्जघर बहुत पहले तोड़ दिया गया था और इस पर तैनात कर्मचारी को स्थायी होने के नाते उससे कर विभाग में कार्य लिया जाता है, और वेतन इसी (काउन्ज मद से ही आहरित होता है इसलिए उक्त व्यय प्राविधान उचित है।
	श्री शोभनाथ आर्य, मान्य सभासद ने कहा कि क्या जो जानवर छुटे हुये इधर उधर घूमते हैं, उन्हें पकड़वाने की कोई व्यवस्था है। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि यदि सभी लोग उचित समझते हो तो इस हेतु एक प्रस्ताव

प्रस्ताव :-	निर्णय :-
	अगली बैठक में लायें, तो उस पर विचार करके कार्यवाही की जा सकती है। श्री राम अभिलाख, मान्य सभासद ने पूछा, कि 'सामान्य प्रशासन' मद में क्या क्या आता है, इस पर अध्यक्ष की अनुमति से लेखाकार ने बताया कि इस मद में सामान्य कार्यालय व लेखा विभाग के कर्मचारी आते हैं। श्री शोभनाथ आर्य, मान्य सभासद ने पूछा कि स्टोर क्या है और इसमें क्या क्या आता है, इसका विस्तृत विवरण दिया जाय अध्यक्ष की अनुमति से लेखाकार ने बताया कि विस्तृत विवरण अभी तुरन्त सदन में दिया जाना संभव नहीं है, इसका विस्तृत विवरण तैय्यार करने में समय लगेगा, जिसे अगली बैठक में बताया जायेगा। डा० श्री ~~कृष्ण~~ कुमार श्रीवास्तव, मान्य सभासद ने कहा कि सार्वजनिक शौचालय, खासतपुर के निर्माण हेतु बोर्ड की पिछली बैठक में, स्वीकृति दी गयी थी लेकिन उसका कार्यान्वयन अभी तक नहीं हुआ, यदि नहीं हुआ तो ~~क्या~~ क्या उसे निरस्त माना जाय, और यदि नहीं तो उक्त स्वीकृत निर्माण कार्य किस मद से होगा। अध्यक्ष महोदय की अनुमति से लेखाकार ने बताया कि उक्त कार्य भवन मद में प्राविधानित धन से

विशेष प्रस्ताव 2.4.90

प्रस्ताव	निर्णय
	होगा। डा० श्री कृष्ण कुमार श्रीवा मान्य सभासद ने अपनी बात को नोट कराते तथा पूर्व में पारित इस प्रकार के प्रस्तावों को भवन मद से कराने हेतु अगले वर्ष में, बल दिया, जिस पर सदन की सहमति पायी गयी।
	चर्चा के दौरान श्री गणेश नाथ रावत, व श्री बाबूलाल मान्य संभासद ने कहा कि सीतापुर आँख अस्पताल के लिये पिछले वर्ष 2500/- ढाई हजार रुपये का अनुदान दिया जाना था, जो वर्ष 1990-91 के बजट में प्राविधान में स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। अध्यक्ष की अनुमति से लेखाकार ने बताया कि प्रस्तावित बजट में 2500/- का प्राविधान उक्त मद के अन्तर्गत रखा गया है, इस पर डा० कृष्ण कुमार व डा० सुनील श्रीवास्तव मान्य सभासद ने इस धनराशि को बढ़ाकर 4,000/- करने को कहा, जिस पर विचार विमर्श के दौरान अध्यक्ष महो० की अनुमति से लेखाकार ने बताया कि उक्त धनराशि को बढ़ाने की कार्यवाई में मण्डलायुक्त महोदय के अनुमोदन लेने की आवश्यकता को

प्रस्ताव:

निर्णय:

इंगित किया, तब सदन द्वारा 25000/- की ही धनराशि के प्राविधान को पारित करने की सहमति दी गयी।

श्री वीरेन्द्र प्रताप यादव, मान्य सभासद ने कहा कि मिर्ज़ापुर-शेखपुरा में स्थित एक बड़े नाले को पाटने की बात कही, जो कार्यान्वित नहीं हुआ। अध्यक्ष ने कहा कि उक्त कार्य हेतु एक प्रस्ताव बनाकर अगली बैठक में लायें, तब उस पर विचार करके सदन की सहमति से उक्त कार्य पर होने वाले व्यय को अगले बजट में प्राविधानित कर लिया जायेगा।

श्री बाबूलाल गुप्त व श्री गणेशनाथ रावत, मान्य सभासद ने कहा कि पं० दीनदयाल उपाध्याय भवन के जीर्णोद्धार हेतु पिछले वर्ष के बजट में प्रस्ताव पास करके प्राविधान किया गया था, लेकिन कार्य अभी तक नहीं कराया गया। इस बजट में उक्त प्राविधान होना नहीं दिखाया गया है। इस पर अध्यक्ष की अनुमति से लेखाकार ने बताया कि इस भवन मद में प्राविधान किया गया है, जिसका विस्तृत विवरण पढ़कर सुनाया गया, जिससे मान्य सभासद आश्वस्त हो गये।

विशेष प्रस्ताव

2.4.90

प्रस्ताव:	निर्णय:
	उपरोक्त चर्चाओं के पश्चात वर्ष 1990-91 का आय-व्ययक विशेष प्रस्ताव द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया, जिसके अनुसार कुल प्रस्तावित आय-व्यय से अंतिम अवशेष निम्नवत है।
	1. कुल प्रस्तावित आय रु 2,12,59,310=00
	2. कुल प्रस्तावित व्यय रु 2,04,68,900=00
	3. अंतिम अवशेष रु 7,90,410=00

[signature]
प्र० अधिशासी-अधिकारी,
सिटी-बोर्ड
जौनपुर
2-4-90

[signature]
अध्यक्ष,
सिटी-बोर्ड
जौनपुर
2-4-90

: सामान्य प्रस्ताव : 2.4.90 73

प्रस्ताव	निर्णय
1. पिछली बैठक दिनांक 28-2-90 की कार्यवाही वाले पुष्टि।	पिछली बैठक की कार्यवाही दिनांक 28-2-90 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से श्री महेशनारायण, परिषद लिपिक द्वारा पढ़ी गयी। कार्यवाही को पढ़ने के दौरान चर्चा काल में दिनांक 28-2-90 को लिखित द्वितीय अनुच्छेद (पृष्ठ 66 बांयी ओर) जहाँ श्री मुख्तार अहमद मान्य सभासद के वक्तव्य में एक-एक दैनिक वेतन का स्वच्छकार कर्मचारी हर सभासद को दिये जाने की बात का उल्लेख था, पर मान्य सभासद श्री शोभनाथ आर्य ने उक्त शब्दावली को समाप्त करने तथा उसके स्थान पर प्रत्येक सभासद के वार्ड में एक एक-दैनिक वेतन भोगी स्वच्छकार कर्मचारी दिया जाना लिखा जाय, पर सभी मान्य सभासदों की सहमति पायी गयी और उक्त संशोधन के साथ पिछली कार्यवाही की सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।
2. सिटी-बोर्ड-जौनपुर का वित्तीय वर्ष 1989-90 के माह फरवरी 90 का मासिक आय-व्यय लेखा विवरण इत्यादि परिषद के अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।	सर्वसम्मति से स्वीकार।

2.4.90

प्रस्ताव :-	निर्णय :-
3. नगर विकास अनुभाग-6 अधिसूचना सं० 1286/11-6-90-6मिस./90 दिनांक 19.2.90, जो सिटी बोर्ड जौनपुर में दिनांक 1-3-90 को प्राप्त हुयी है, के अन्तर्गत, उत्तर-प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम 1904 (उत्तर-प्रदेश अधिनियम सं० 1-सन 1904) की धारा 21 तथा संयुक्त प्रान्त नगर-पालिका अधिनियम 1916 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम सं० 1916) की धारा 9 के चतुर्थ प्रतिबंधात्मक खण्ड के साथ पठित प्रथम एवं तृतीय प्रतिबंधात्मक खण्डों के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुये राज्यपाल द्वारा नगरपालिकाओं में महिला सदस्य एवं सफाई मजदूर वर्गों के सदस्यों के लिए गये नाम निर्देशनों से सम्बन्धित पूर्व अधिसूचनाओं को रद्द करने सम्बन्धी अधिसूचना परिषद के सूचनार्थ।	पढ़ा गया। डा० श्री कृष्णकुमार श्रीवास्तव मान्य सभासद, ने सुझाव दिया कि नामित सदस्य श्री बाबूराम एवं श्रीमती नसरीन अख्तर ने बोर्ड की एक वर्ष तक सत्यनिष्ठा से सेवा की है, अतएव इन मान्य सभासदों को सदन की ओर से धन्यवाद भेजा जाय। इस प्रस्ताव का समर्थन, सभी सभासदों ने, सहर्ष किया, और सदन द्वारा पारित किया गया।
4. आख्या अधिशासी-अधिकारी सिटी-बोर्ड जौनपुर दिनांक 14-3-90 कि नगर विकास-अनुभाग-6-अधिसूचना सं० 1286/11-6-90-6मिस/	दोनो नामित सदस्य जिन-जिन कमेटियों में सदस्य। अध्यक्ष, चुने गये थे, के स्थान पर सदन में सर्वसम्मति

प्रस्ताव:	निर्णय:
90 दिनांक 19.2.90 को अन्तर्गत, पिटी-बोर्ड जौनपुर के नामित सदस्य श्री बाबूराम तथा श्रीमती नसरीन अब्बास की सदस्यता समाप्त होने के पश्चात इनका विभिन्न विभागों की कमेटियों में सदस्य/अध्यक्ष की हैसियत से सदस्यता समाप्त होने के फलस्वरूप निम्न कमेटियों में उनके स्थान पर नये सदस्य/अध्यक्ष के चयन पर विचार। 1. शिक्षा समिति में 2 सदस्य 2 वाचनालय एवं पुस्तकालय समिति में 2 सदस्य 3. प्रकाश समिति में 2 सदस्य 4. सांस्कृतिक कार्यक्रम समिति में अध्यक्ष व 1 सदस्य। 5. वित्त समिति में 1 सदस्य।	से निम्न सदस्य/अध्यक्ष निर्वाचित किये गये। 1. शिक्षा समिति में 1. डा० सुनील श्रीवास्तव-सदस्य 2. श्री मिर्जा जावेद हुसैन " 2. वाचनालय एवं पुस्तकालय समिति में 1. श्री डा० कृष्ण कुमार श्री० सदस्य 2 श्री. डा० सुनील श्री० " 3. प्रकाश समिति में 1. श्री [redacted] सदस्य प्रेम अग्रवाल, सदस्य 2 श्री मिर्जा जावेद हुसैन 4. सांस्कृतिक कार्यक्रम समिति में 1 श्री गणेशलाल रावत- अध्यक्ष 2 श्री डा० सुनील श्रीवास्तव-सदस्य 5- वित्त समिति में श्री रमजान खाँ- सदस्य-
5. पालिका प्रकाश व्यवस्था के लिये रु 20/- दैनिक वेतन पर रखे गये मिस्त्री का कार्यकाल 1.4.90 से 30-6-90 तक बढ़ाये जाने सम्बन्धी प्रकाश विभागीय आख्या मय अधिशासी-अधिकारी, व अध्यक्ष की संस्तुति	दिनांक 1.4.90 से 31.5.90 मात्र दो माह के लिए स्वीकृत।

2.4.90

प्रस्ताव	निर्णय
के साथ परिषद के अनुमोदनार्थ।	
6. पालिका सफाई विभाग में सफाई कार्य हेतु स्वीकृत दैनिक मजदूरी पर रखे गये 25 स्वच्छकारों का कार्य-काल दिनांक 1.4.90 से 30-9-90 तक बढ़ाये जाने सम्बन्धी स्वास्थ्य विभागीय आख्या मय अधिशासी-अधिकारी व अध्यक्ष की संस्तुति परिषद के अनु-मोदनार्थ।	दिनांक 1.4.90 से 31-5-90 मात्र दो माह के लिये स्वीकृत।
7. पालिका सफाई विभाग में 3 ट्रैक्टरों पर 9 सफाई बेलदार स्वच्छकार कर्मचारियों को स्वीकृत दैनिक वेतन पर रखने की स्वीकृत अवधि 1.4.90 से 30-9-90 तक बढ़ाये जाने सम्बन्धी स्वास्थ्य विभागीय आख्या मय अधिशासी-अधिकारी व अध्यक्ष की संस्तुतियों के साथ परिषद के अनुमोदनार्थ।	दिनांक 1-4-90 से 31-5-90 मात्र दो माह के लिये स्वीकृत।
8. पालिका जलकल विभागीय नलकूपों के संचालन हेतु स्वीकृत दैनिक वेतन रु.20/- पर रखे गये 39 पम्प-	दिनांक 1.4.90 से 31-5-90 मात्र दो माह के लिये स्वीकृत।

Scanned with OKEN Scanner

प्रस्ताव:	निर्णय:
अटेन्डेन्टों का कार्यकाल 1-4-90 से 30-6-90 तक बढ़ाये जाने की जलकल विभागीय आख्या मय अधिशासी अधिकारी व अध्यक्ष की संस्तुति के साथ परिषद के अनुमोदनार्थ।	
9. पालिका जलकल विभाग की पाइप लाइनों के रखरखाव हेतु स्वीकृत दैनिक वेतन रु. 15/- पर रखे गये 6 बेलदारों का कार्यकाल 1-4-90 से 30-6-90 तक बढ़ाये जाने की जलकल विभागीय आख्या मय अधिशासी-अधिकारी व अध्यक्ष की संस्तुतियों के साथ परिषद के अनुमोदनार्थ।	दिनांक 1-4-90 से 31-5-90 मात्र दो माह के लिये स्वीकृत।
10. प्रस्ताव श्री बाबूलाल गुप्त सभासद, जिसका समर्थन सर्व श्री गणेशनारायण, दयाशंकर व शिवकुमार गुप्त, सभासद ने किया कि जलकर व ~~किराया~~ मीटर किराया के वर्ष 89-90 में बढ़े हुये दर को समाप्त करके, मीटर लगने की प्रक्रिया का समापन करके प्रत्येक उपभोक्ता से रु 20/- माहवार पानी का मूल्य लिया जाय, परिषद के अनुमोदनार्थ।	प्रस्तावक श्री बाबूलाल गुप्त सभासद, ने अपने इस प्रस्ताव को, सदन में वापस ले लिया, अतः इस पर कोई कार्यवाही/विचार नहीं हो सका।

2.4.90

अध्यक्ष की अनुमति से - पूरक कार्य सामग्री (एजेन्डा)

	प्रस्ताव	निर्णय
पूरक प्रस्ताव 1.	आख्या प्रधानाचार्य नगर पालिका इ० ट० कालेज बाबत डा० हवलदार सिंह, बनाम VS अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग एवं सिरी-बोर्ड-जौनपुर के मुकदमें की पैरवी में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के सम्बन्धित अधिवक्ता श्री शशिनन्दन के देयक वास्ते रु 1995/- एक हजार नौ-सौ पंचानबे रूपये के भुगतान की स्वीकृति परिषद के अनुमोदनार्थ।	सर्वसम्मति से स्वीकार।
पूरक प्रस्ताव 2.	आख्या प्रधानाचार्या, नगर-पालिका बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रुहट्टा, जौनपुर कि श्री के०पी० श्रीवास्तव द्वारा सिरी-बोर्ड जौनपुर के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में नियोजित रिट के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिवक्ता श्री शशिनन्दन के प्राप्त देयक रु175/- एक सौ पच्चहत्तर रुपये का भुगतान परिषद के अनुमोदनार्थ।	सर्वसम्मति से स्वीकार।

प्रस्ताव संख्या 3 — प्रस्ताव

आयुक्त वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी के शासनादेश सं० 6159/9-1-88-159/87 टी०सी० दिनांक 10-8-88 के अन्तर्गत नगर बोर्ड औरैया को विशेष सफाई उपकरण हेतु प्राप्त अनुदान रु० 1,00,000/- में से आई०डी०एम० सेल-लखनऊ द्वारा अनुमोदित सफाई उपकरणों में से क्रय किये गये हाथ ठेले पर व्यय धन रु० 38,430=00 के पश्चात शेष धन रु० 61,570/- से एक अदद नया ट्रैक्टर खरीदे जाने का प्रस्ताव इस शर्त के साथ कि आई०डी०एम० सेल, लखनऊ से अनुमोदन करने के पश्चात, क्रय की जा सकती है, परिषद के विचारार्थ।

निर्णय..

प्रस्ताव पढ़ा गया। अध्यक्ष जी द्वारा शासन द्वारा प्राप्त विशेष सफाई उपकरण अनुदान के सम्बन्ध में बताया गया। अध्यक्ष महो० ने सदन के समक्ष उक्त विशेष सफाई उपकरण अनुदान की शेष धनराशि रु० 61,570/- से ट्रैक्टर खरीदे जाने को विचार रखा और यह भी प्रस्ताव किया कि यदि एक के स्थान पर दो ट्रैक्टर 10,000/- मासिक किस्त पर मिल जाये तो उसे ले लिया जाय। चर्चा के दौरान यह भी तय पाया गया कि ट्रैक्टर के क्रय में यदि कुछ धनराशि लगती होगी तो उसे बोर्ड फण्ड से लगा दिया जाये, जिससे नगर में ~~सुचारु~~ बेहतर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। इस पर सभी मान्य सभासदों की सहमति पायी गयी और उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।

अन्य विषय-चर्चा काल:-

चर्चा के दौरान श्री श्री मनोज आर्य, मान्य सभासद ने कहा कि हाथ ठेला कैसे क्रय किया गया था। यदि अध्यक्ष को स्वीकृति देना था तो प्रत्येक सामग्री को क्रय करने के लिये बोर्ड में रखने की क्या आवश्यकता है, अध्यक्ष स्वयं स्वीकृत करें। इस पर अध्यक्ष ने बताया कि ठेला का क्रय, अध्यक्ष को बोर्ड द्वारा दिये गये वित्तीय शक्ति के अधीन अधिकार के अन्तर्गत

2.4.90.

की गयी थी, अब चूँकि आई०पी०एम० सेल लखनऊ से अनुमोदित सफाई उपकरणों के अतिरिक्त नयी वस्तु ट्रैक्टर क्रय की जाती है और ट्रैक्टर पर, विशेष सफाई अनुदान के अवशेष धन 61,570/- के पश्चात जो भी व्ययभार पड़ेगा, उसे पालिका निधि से वहन करना है, इसलिए इसकी स्वीकृति बोर्ड से ली जानी आवश्यक है।

चर्चा के ही दौरान श्री अनसरजा, मान्य सभासद ने कहा कि रोगींग बेलदार कितने हैं और क्या-क्या काम करते हैं। इस पर अध्यक्ष की अनुमति से श्री कामेश्वर सिंह, अवर अभियन्ता ने बताया कि कुल 20 रोगींग बेलदार हैं जिनमें से 2 औरतें हैं 5 जिलाधिकारी महो० के आवास पर कार्यरत हैं वर्तमान समय जो शेष 13 बेलदार हैं, उन्ही से कार्य लिया जा रहा है। इस पर मान्य सभासद श्री अनसरजा ने उनके मुहल्ला ढालगरटोला व आसपास सड़के ऊंची नीची हैं स्कूल के पास मिट्टी व कूड़े का ढेर लगा है, जिसे रोगींग बेलदार से साफ कराया जाय।

चर्चा के ही दौरान श्री अनसरजा ने कहा कि जब पालिका सार्वजनिक निर्माण विभाग में बेलदार हैं, तो क्यों न एक राजगीर मिस्त्री की नियुक्ति की जाती है ऐसा होने से फुटकर-छोटे मोटे मरम्मत कार्यों को ठीकेदारी के माध्यम से कार्य कराने की अपेक्षा कम समय तथा अल्प व्यय में किया जा सकेगा। अध्यक्ष द्वारा उक्त सुझाव पर सहमति पायी गयी और उन्होंने इस सुझाव को निर्माण कमेटी के माध्यम से बोर्ड में विचारार्थ रखे जाने को कहा।

मान्य सदस्य श्री अनसरजा ने ही जल संयोजन लेने हेतु जो भी ~~का~~ करतिपोरा किये जाते हैं, वह 365/- से कम पर नही होता, यह कहाँ तक सही एवं कहाँ तक गलत है। इस पर अध्यक्ष महो० की

Scanned with OKEN Scanner

अनुमति से कर अधीक्षक ने बताया कि इस प्रकार का एक शासनादेश पूर्व में आया है, जिसके अनुपालन में कर निर्धारण 365/- से कम पर नहीं किया जाता, इस पर माननीय सभासद उक्त शासनादेश देखने की इच्छा व्यक्त किये, जिसे कर अधीक्षक द्वारा दिखलाने का आश्वासन दिया गया।

[signature]
प्रभारी अधि०अधिकारी,
सिटी बोर्ड
जौनपुर
2.4.90

[signature]
अध्यक्ष,
सिटी बोर्ड
जौनपुर
2.4.90